



2026:AHC:178765

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29817 वर्ष 2026

विनोद कुमार मिश्रा @ राजा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : हरे राम पांडे, शशांक पांडे

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, ललित कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या- 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक पाण्डेय की ओर से अधिकृत अधिवक्ता श्री आयुष्मान तिवारी, प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री ललित कुमार श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राम कुमार वर्मा को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन अपराध संख्या 60 सन् 2026, धारा 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत, थाना भरतकूप, जनपद चित्रकूट में पंजीकृत प्रकरण में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का ससुर है, जिसने घरेलू मामलों को लेकर हुए एक मामूली विवाद के पश्चात् विषाक्त पदार्थ का सेवन करके आत्महत्या कर ली। आवेदक को केवल मृतका का ससुर होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध ऐसा कोई पर्याप्त आधार नहीं है, जिससे यह प्रदर्शित हो कि मृत्यु से पूर्व उसने दहेज की मांग पूरी न किए जाने के कारण मृतका के साथ उत्पीड़न किया था। आवेदक को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई मृत्यु के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



मामले में दहेज मृत्यु की उपधारणा लागू करने के लिए यह प्रदर्शित करने हेतु पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका के साथ क्रूरता की गई थी, किंतु ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। अंततः यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 07.06.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन उच्चतम न्यायालय 3038** में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित आदेशादेश को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

6. आवेदक— **विनोद कुमार मिश्रा @ राजा**, जो उपर्युक्त अपराध में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उतनी ही धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसे प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के पश्चात् आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में अथवा किसी अपराध के कारित किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार वह उपस्थित रहेगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास के प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा इसका सत्यापन किए जाने और यह वचन दिए जाने पर कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के जमानत प्रदान करने की नीति-रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 वर्ष 2021 में दिनांक 31.01.2023 को दिए गए आदेश, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित है, तथा पीला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में रिट याचिका (दांडिक) संख्या 169 वर्ष 2025 में दिनांक 29.05.2026 को दिए गए आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से आवेदक को तथा विचारण न्यायालय को ई-मोड के माध्यम से भेजी जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

24 अगस्त, 2026

सी.एस/-

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।